अज अदालत सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.), बाडमेर मुकाम............बाडमेर

बाड़मेर अग्रवाल सम्मेलन संस्था बनाम ओमसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 आर.टी.ए. .. नं. .51... सन् 2022

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
26.05.2020	वादी बाड़मेर अग्रवाल सम्मेलन संस्था, बाडमेर जरिये अध्यक्ष श्रीकिशन की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल के मेराजा द्वारा यह राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 15/06/22 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बाडमेर	1381 13/06/22 रु.
15/06/2022	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन हेतु तलबाना पेश हो. पेश होने पर जारी हो, पत्रावली वास्ते तलबी तारीख 06/09/2022 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बाडमेर	
12/07/22	वादी एवं वकील वादी के प्रार्थना-पत्र पत्रावली आज पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। वादी एवं वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। जिसका वे अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है तथा वाद	मैं अपना वाद जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहता हूँ। [signature] अध्यक्ष (श्रीकिशन) [signature]

को इसी स्तर पर अरिये विड्रोवल

खारिज करने का निवेदन किया।

वकील वादी को सुना गया। पत्रावली

का अवलोकन किया गया। प्रकरणों

एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता

है कि वादी एवं वादीगण के मध्य

लोक अदालत की भावना से राजीनामा

हो गया है जिसबाबा वादी प्रकरण में

कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। जिसका

प्रकरण खारिज योग्य है।

अतः वादी एवं वकील वादी द्वारा

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत अरिये विड्रोवल खारिज

करने बाद स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर

हो आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर